–: राजस्थान सरकार :–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– ब्रह्मलाल जाट (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 94 / 2022

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर राज०

......................आवेदक

बनाम

1. दिनेश जैन पुत्र श्री शिवचरन जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, कालीमाई रोड, निवासी पंचमुखी हनुमान गली, गडरपुरा धौलपुर

..................अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 52 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– कुसुमाकर गर्ग , एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 25.04.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.03.2022 को दोपहर 03.00 बजे मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, कालीमाई रोड धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्री दिनेश जैन पुत्र श्री शिवचरन जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, कालीमाई रोड, निवासी पंचमुखी हनुमान गली, गडरपुरा धौलपुर बताया एवं उनसे फर्म की खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने हेतु कहा तो उन्होंने खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया ।

Scanned with OKEN Scanner

निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे रैक में लगभग 25 पाउच प्रत्येक 120 ग्राम वजनी पान मसाला (करमचंद) आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था । उक्त पान मसाला (करमचंद) में मिलावट का शक हुआ तो परिवादी ने उक्त पान मसाला (करमचंद) का नमूना जॉच देते हेतु क्रेता और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । विक्रेता की उक्त पान मसाला (करमचंद) में से 16 पाउच पान मसाला (करमचंद) को वास्ते जांच नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 2800/(अठाईस सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पान मसाला (करमचंद) को 04 साफ सूखे व खली गत्ते के डिब्बों में रखकर 04 नमूने भाग तैयार किये। पैकेटों पर लेवल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी–2402 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप नं0 डी–2402 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 122 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/440/एक्ट/2022/440 दिनांक 01.04.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में मिसब्राण्ड (Misbrand) का विक्रय करके विक्रेता श्री दिनेश जैन पुत्र श्री शिवचरन जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, कालीमाई रोड, निवासी पंचमुखी हनुमान गली, गडरपुरा धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो मिसब्राण्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाष उपस्थित हुये। साथ ही अप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा जबाव पेश किया। जवाब में अंकित किया कि मैन्युफैकचरिंग डेट, किस एक्सपायरी डेट/वेस्ट रिपोर्ट का नमूना लिया यह बात नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनाई जाती है उस फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। मिस ब्राण्ड खुली आखों से देखा जा सकता है जबकि विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट बनाई गई तब उसमें क्या–क्या कमी पाई गई इस बात का उल्लेख फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब नमूना लिया गया तब नमूना मिस ब्राण्ड नहीं था। प्रकरण में 16 पाउच 120 ग्राम के लेना फर्द रिपोर्ट एवं इस्तगासा की मद नं 03 में लेना बताया है। लेकिन जांच होकर नमूना आया तब जांच रिपोर्ट में पाउचों के लैब में पहुंचने एवं पाउचों का मिस ब्राण्ड होने का हवाला नहीं है। अतः लैब में पाउच चैक ही नहीं हुए। क्योंकि लैब द्वारा पाउच प्राप्त नहीं किए बल्कि पॉलिथीन पैकेट प्राप्त करना बताया है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं पाया जाता है। प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे। प्रार्थी न तो निर्माता है और न ही निर्माता लाइसेंसधारी। प्रार्थी एक फुटकर व्यापारी है और प्रार्थी थोक दुकानों से थोडा–थोडा सामान लाकर अपनी दुकान पर विकय करने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को मिस ब्राण्ड के प्रकरण में दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि मिस ब्राण्ड के प्रकरण में निर्माता एवं निर्माता लाइसेंसधारी दोषी होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पान मसाला (करमचंद) की निर्माता कंपनी त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेज विजयपुरा वानमौर है। जिसे इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इस कारण भी प्रार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता। जांच रिपोर्ट में SAMPLE DESCRIPTION में पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री द्वारा सैंपल प्राप्त किया तब उसमें यह पाया कि sample is in a seald and intact company packed polythene packet of 120gmx4 पाया है तो उस नमूने के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा कोई छेडछोड नहीं की गई है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा जो 120 ग्राम के पाउच जब्त होना बताया है वह 120 ग्राम का पाउच पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री पहुंचा ही नहीं। क्योंकि पब्लिक हेल्थ कंपनी ने 120 ग्राम की पॉलीथीन प्राप्त की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 120 ग्राम का पाउच लैबोरेट्री पहुंचा ही नहीं इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने अपने इस्तगासा की मद नं 04 में कहा है कि 16 पाउच पान मसाला (करमचंद) को मूल ही लेकर 04 साफ सूखे खाली गत्ते के डिब्बों में रखकर 04 नमूने भाग तैयार किए किंतु गत्ते के डिब्बे पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री भरतपुर पहुंचे ही नहीं, और लैबोरेट्री में जो नमूना पहुंचा वह sample is in a seald and intact company packed polythene packet of 120gmx4 इससे स्पष्ट है कि मौके पर जो नमूना लिया वह जांचा हीं नहीं गया। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने कथनों में प्रस्तुत जबाव को दौहराते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किस मैन्युफैकचरिंग डेट, एक्सपायरी डेट का नमूना लिया यह बात नमूना लेते समय मौके पर फर्ज रिपोर्ट में अंकित नहीं है। फर्ज मौका रिपोर्ट बनाई गई तब उसमें क्या–क्या कमी पाई गई इस बात का उल्लेख फर्ज रिपोर्ट में अंकित

Scanned with OKEN Scanner

-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 94/2022 सरकार बनाम दिनेश जैन

नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब नमूना लिया तब नमूना मिस ब्राण्ड नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 16 पाउच 120 ग्राम के लेना फर्द रिपोर्ट एवं इस्तगासा की मद नं 03 में लेना बताया है। लेकिन जांच होकर नमूना आया तब जांच रिपोर्ट में पाउचों के लैब में पहुंचने एवं पाउचों का मिस ब्राण्ड होने का हवाला नहीं है। अतः लैब में पाउच चैक ही नहीं हुए। क्योंकि लैब द्वारा पाउच प्राप्त नहीं किए बल्कि पॉलिथीन पैकेट प्राप्त करना बताया है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं पाया जाता है। प्रार्थी एक फुटकर व्यापारी है और प्रार्थी थोक दुकानों से थोडा-थोडा सामान लाकर अपनी दुकान पर विक्रय करने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को मिस ब्राण्ड के प्रकरण में दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि मिस ब्राण्ड के प्रकरण में निर्माता एवं निर्माता लाइसेंसधारी दोषी होता है। जांच रिपोर्ट में SAMPLE DESCRIPTION मे पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री द्वारा सैंपल प्राप्त किया तब उसमें यह पाया कि sample is in a seald and intact company packed polythene packet of 120gmx4 पाया है तो उस नमूने के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा कोई छेडछाड नही की गई है। परिवादी द्वारा जो 120 ग्राम के पाउच जब्त होना बताया है वह 120 ग्राम का पाउच पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री पहुंचा ही नहीं। क्योंकि पब्लिक हेल्थ कंपनी ने 120 ग्राम की पॉलीथीन प्राप्त की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 120 ग्राम का पाउच लैबोरेट्री पहुंचा ही नहीं इस्तगासा की मद नं 04 में कहा है कि 16 पाउच पान मसाला (करमचंद) को मूल ही लेकर 04 साफ सूखे खाली गत्ते के डिब्बों में रखकर 04 नमूने भाग तैयार किए किंतु गत्ते के डिब्बे पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री भरतपुर पहुंचे ही नहीं, और लैबोरेट्री में जो नमूना पहुंचा वह sample is in a seald and intact company packed polythene packet of 120gmx4 इससे स्पष्ट है कि मौके पर जो नमूना लिया वह जांचा हीं नहीं गया। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने कहा कि मौके से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके से पान मसाला (करमचंद) का नमूना लिया जिसके पाउचों पर बैच नंबर एवं निर्माण तिथि अंकित नहीं थी। जो कि जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है एवं नमूना जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। जो जुर्माने योग्य अपराध है। फार्म नंबर यूए में अंकित है। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्द रिपोर्ट पढकर, समझाकर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाए गए। यह तथ्य फर्द रिपोर्ट में अंकित है। फार्म यूए में नमूना विवरण का अंकन है। जांच रिपोर्ट में साफ-साफ अंकित है कि जो कि निम्न प्रकार है- SAMPLE DESCRIPTION - sample is in a seald and intact company packed polythene packet of 120gmx4 जो कि polythene packing को ही पाउच कहा जाता है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 120 ग्राम के 16 पाउच लिए गए जो कि नमूने के 04 भाग मौके से लिए। जिसमें 120gmx4 पाउच (एक भाग) प्रयोगशाला भेजा गया जिसकी जांच रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है। शेष 03 भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर कार्यालय में जमा कराए गए जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/दुकानदार को पत्र क्रमांक : 162 दिनांक 27.04.2022 द्वारा खाद्य माल की खरीद रसीद एवं अन्य दस्तावेज चाहे गए जो विक्रेता/दुकानदार उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। अतः दुकानदार/विक्रेता उत्तरदायी माना गया है। चूंकि लिया गया नमूना company packed polythene packing मे था एवं दुकानदार से खरीद रसीद खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पत्र के माध्यम से मांगी गई लेकिन दुकानदार खरीद बिल उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहा। अतः दुकानदार को उत्तरदायी माना गया है। 120 ग्राम के polythene packing का मतलब पाउच ही होता है। जो कि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकन है। नमूने के 04 भाग नियमानुसार लिए गए। 01 भाग को प्रयोगशाला भरतपुर भेजा गया शेष 03 भाग अभिहित अधिकारी धौलपुर में जमा कराए गए। जिसकी रसीद शामिल पत्रावली है।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने उक्त पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 52 एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में मिसब्राण्ड (Misbrand) में राशि तीन लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अप्रार्थी दिनेश जैन पुत्र श्री शिवचरन जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, कालीमाई रोड, निवासी पंचमुखी हनुमान गली, गडरपुरा धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 100000/– रूपये (एक लाख रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner